

कायालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ14(आरआरवीपीएनएल)2016/एफसीए/प्रमुवसं/ 2309

दिनांक: 19.7.17

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र)
पंचम तल, केन्द्रीयभवन, सेक्टर-एच,
अलीगंज, लखनऊ -226024 (उ०प्र०)

विषय:- Diversion of 19.7432 ha of forest land for 400 K.V. S/C
Extending from 765/400 K.V. GSS to 400/220 GSS PGCILs
Kota in Bundi & Kota Districts in favour of RRVNLL
without felling of trees-reg. (प्रस्ताव संख्या FP/ RJ/ TRANS/
18259/2016).

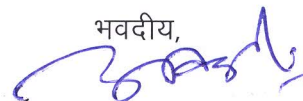
संदर्भ:-आपका पत्रांक 8बी/राज/04/7/2017/एफसी/150 दि.17.7.17

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित से चाही गयी सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

बिन्दु सं.	चाही गयी सूचना	अनुपालना
1.	इस कार्यालय के सम संख्यक पत्र दि. 8.6.17 द्वारा चाही गयी बिन्दुवार सूचना में से बिन्दु सं. 2 में उल्लेखित प्रकरण ऑनलाईन प्रकरण सं. FP/ RJ/ TRANS/4124/ 2013 In March, 2014 में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इससे संबंधित सूचना मुख्य वन संरक्षक से प्राप्त कर अलग से प्रेषित की जावेगी। इसके लिए संबंधित मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), कोटा को इस कार्यालय द्वारा दि. 12.7.2017 को पत्र लिखा जा चुका है।	प्रकरण सं. FP/ RJ/ TRANS/4124/ 2013 765 KV S/C अंता से फागी सर्किट In March, 2014 में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इससे संबंधित सूचना मुख्य वन संरक्षक से प्राप्त कर अलग से प्रेषित की जावेगी। इसके लिए संबंधित मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), कोटा को इस कार्यालय द्वारा दि. 12.7.2017 को पत्र लिखा जा चुका है।
2.	बिन्दु सं. 5 के अनुसार संशोधित भू-संदर्भित मानचित्र नहीं प्रस्तुत किया गया है।	संशोधित भू-संदर्भित मानचित्र संलग्न है।
3.	बिन्दु सं. 8 के अनुसार वनभूमि की आवश्यकता घटक (component wise) अनुसार नहीं प्रस्तुत की गयी है।	वनभूमि की आवश्यकता घटक (component wise) अनुसार तैयार कर संलग्न है।

भवदीय,



(ए.के. सिंह)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

दूरभाष कार्यालय-01412713759, मो.नं. 9414059146

...PTO

क्रमांक: एफ14(आरआरवीपीएनएल)2016/एफसीए/प्रमुखसं/

दिनांक:

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. उप वन संरक्षक, बूंदी/कोटा।
2. अधिशासी अभियंता, RRVPNL, थर्मल सर्किल के पास, सकतपुरा, कोटा- 324008

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर